उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
धिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
बरः—80/2018 प्रार्थना पत्र
न पिता भूरा लाल खटीक, उम्र बालिग निवासी 12—ई—3 तिलगनगर—भीलवाड़ा तहसील व
ाड़ा (राजस्थान)

—————प्रार्थी

बनाम

नसीबा पत्नि कुमुबुद्दीन खान, उम्र बालिग निवासी सोंलकी टाकीज के पीछे, शास्त्रीनगर—
। तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ोश चन्द्र पिता मिश्रीलाल सोनी, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
पिता देवा रेगर, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पिता देवा रेगर, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लाल पिता नंदलाल खटीक, उम्र बालिग निवासी नया मोहल्ला, सांगानेरी गेट—भीलवाडा
ली बाई पत्नि नंदलाल खटीक, उम्र बालिग निवासी नया मोहल्ला, सांगानेरी गेट—भीलवाड़ा
व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————विपक्षीगण

————————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—6.5.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व ़956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ पटवार तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 529/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा नम्बर 1291/3 रकबा 14 बिस्वा, 1599/2 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा मे प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद हते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी गढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये श प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 9.4.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये ण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 3, 4, 5, 6, व 7 के सम्मन बाद तामिल से शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1, 3, 4, 5, 6, व 7 को कितनी ही आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.4.2019 को ार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व कोई चाहने के कारण दिनांक 12.4.2019 को कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का आदेश पारित

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा यी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे राजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते ाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे राजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
ने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के
ार किया जाकर ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल
म्बर 529/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1291/3 रकबा 14 बिस्वा,
रकबा 13 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 17
की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी
के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर
ायुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने
ान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये
भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner